



राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर-302017

दूरभाष: 0141-2715522 E-mail: modelschoolest@gmail.com



क्रमांक : रा.स्कूल.शि.प./जय/मॉडल स्कूल/प्रवेश प्रक्रिया-170 द्वितीय/ 894 दिनांक : 23/06/21

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा अभियान
संबंधित जिले।

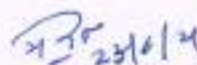
विषय:- स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों के सत्र 2021-22 में प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करने के संबंध में निर्देश।

संदर्भ :- राज्य सरकार शिक्षा (गुप-1) विभाग के पत्र क्रमांक प. 4 (15) शिक्षा-1/मॉडल स्कूल/2008 पार्ट जयपुर दिनांक 23.02.15 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 30.06.15 एवं क्रमांक 4 (15)/शिक्षा-1/मॉ. स्कूल/ 2017 पार्ट जयपुर, दिनांक 17.06.2021 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्रों के क्रम में लेख है कि स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में कक्षा-6, 9 व 11 में प्रवेश में जारी प्रवेश नीति में संबंधित ब्लॉक के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है, के स्थान पर प्रवेश नीति में "संबंधित ब्लॉक के विद्यार्थियों के स्थान पर सर्वप्रथम संबंधित ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को प्राथमिकता से प्रवेश देने एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को प्रवेश देने के पश्चात् कक्षाओं में सीट रिक्त रहने पर ही शहरी परिक्षेत्र के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जावे", संशोधित किया जाता है।

अतः स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में कक्षा 6, 9 एवं 11 में संशोधित प्रवेश नीति के अनुसार प्रवेश देना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- संदर्भित पत्र


(एम. आर. बागडिया)
अति. राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, रा.स्कू.शि.प., जयपुर।
3. निजी सहायक, अति.राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम, रा.स्कू.शि.प., जयपुर।
4. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समसा, संबंधित जिले।
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, संबंधित ब्लॉक।
6. संस्थाप्रधान, स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल, समस्त ब्लॉक।
7. रक्षित पत्रावली।


उपायुक्त-प्रथम

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: 4(15)शिक्षा-1/मॉ.स्कूल 2017 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 17.6.2021

राज्य परियोजना निदेशक,
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद,
जयपुर।

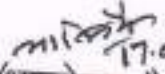
विषय:- स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों में प्रवेश हेतु पूर्व में जारी प्रवेश नीति में संशोधन बाबत।

प्रसंग:- पत्रांक:रा.स्कूल शि.प./जय/मॉडल स्कूल/संस्थापन/ई.सी.जी.सी./75039-II/19872 दिनांक 02.3.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों में कक्षा-6, 9, व 11 में प्रवेश में जारी प्रवेश नीति में संबंधित ब्लॉक के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है, के स्थान पर प्रवेश नीति में "संबंधित ब्लॉक के विद्यार्थियों के स्थान पर सर्वप्रथम संबंधित ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को प्राथमिकता से प्रवेश देने एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को प्रवेश देने के पश्चात कक्षाओं में सीट रिक्त रहने पर ही शहरी परिक्षेत्र के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जावे", संशोधित किया जाता है।

भवदीय,


17.06.2021
(भारतेन्द्र जैन)

शासन उप सचिव, प्रथम

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
5. रक्षित पत्रावली।


17.6.21
(डॉ. रणवीर सिंह)
विशेषाधिकारी-शिक्षा